भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 52

04 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

एनजेसीएस का गठन और सदस्यों की नियुक्ति

52. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस श्रम कानून या उसके उपबंधों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में कार्यरत गैर कार्यपालक कर्मचारियों के मुद्दो को हल करने के लिए "एनजेसीएस" कमेटी का गठन किया गया है;

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) स्तर पर या उसकी सभी इकाइयों के स्तर पर यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन अंतिम बार कब किया गया था; और

(ग) जब प्रत्येक इकाई से मान्यता प्राप्त यूनियन प्रतिनिधि एनजेसीएस में शामिल होते हैं तो पांचों यूनियनों को तीन-तीन नामित सीट किस कानून के तहत दी गई हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (ग) पूर्व में संयुक्त वेतन वार्ता समिति (जेडब्ल्यूएनसी) का गठन मुख्यतया अक्टूबर 1969 में लौह और इस्पात संबंधी औद्योगिक समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में किया गया था जिसमें नियोक्ता और कामगारों के प्रतिनिधि और तत्कालीन उपमुख्य श्रम आयुक्त (I) समिति के सचिव रूप में शामिल थे। बाद में यह निर्णय लिया गया था कि समिति द्विपक्षी स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। द्विपक्षीय समिति ने कार्य करना जारी रखा और वर्ष 1979 में समिति का नाम इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति में परिवर्तित कर दिया। ऐसा कोई कानून या विधिक अधिदेश नहीं है।

एनजेसीएस का दायरा और कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कंपनियों में कार्य करने वाले गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना है। एनजेसीएस में केन्द्रीय श्रम संघों और मान्यता प्राप्त श्रम संघों के प्रतिनिधियों की सीटों / प्रतिनिधित्व की संख्या से संबंधित निर्णय समिति की बैठकों में लिए जाते थे/ लिए जाते हैं।

केन्द्रीय / राज्य कार्यान्वयन तंत्र द्वारा अनुशासन संहिता के तहत मान्यता के प्रयोजन से श्रम संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया में यथा निर्धारित श्रम संघों की सदस्यता के अंतिम सत्यापन का विवरण संगठन द्वारा नहीं रखा जाता है। तथापि किसी भी प्रतिष्ठान / उद्योग में संचालित श्रम संघों की सापेक्षिक शक्ति के निर्धारण के लिए केन्द्र सरकार के श्रमिक प्राधिकरणों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से संचालित अंतिम चुनाव की तिथि **अनुलग्नक "क"** के अनुसार है।

अनुलग्नक "क"

संयंत्र	**गुप्त मतदान के माध्यम से केन्द्रीय श्रम प्राधिकरण द्वारा संचालित अंतिम चुनाव की तिथि**
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	30.07.2022
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	15.11.2021
सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	27.07.2022
विश्वेश्वरैय्या लौह और इस्पात संयंत्र (वीआईएसएल)	04.04.2021
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	29.09.2015
अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी)	30.07.2014

****